



जनपद हापुड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 24 (पुराना) (हापुड शहरी भाग (पुराना दिल्ली-लखनऊ रोड (बांयी पटरी))) के कि०मी० 49.800 से कि०मी० 54.00 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 235 (मेरठ-हापुड रोड (बी०पी०सी०एल० पेट्रोल पम्प से गुरुद्वारा चौक (बांयी पटरी))) के कि०मी० 28.500 से कि०मी० 31.300 कुल लम्बाई 7.00 कि०मी० एवं 0.3500 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव में निर्माण कार्य के सम्बन्ध में

### संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद हापुड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 24 (पुराना) (हापुड शहरी भाग (पुराना दिल्ली-लखनऊ रोड (बांयी पटरी))) के कि०मी० 49.800 से कि०मी० 54.00 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 235 (मेरठ-हापुड रोड (बी०पी०सी०एल० पेट्रोल पम्प से गुरुद्वारा चौक (बांयी पटरी))) के कि०मी० 28.500 से कि०मी० 31.300 कुल लम्बाई 7.00 कि०मी० एवं 0.3500 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव में प्रयुक्त होने वाली संरक्षित वन भूमि 0.3500 हे० संरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के श्री सुनील कुमार एवं प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड, श्री राजेश निगम के साथ दिनांक 17.02.2022 को किया गया। इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा जनपद हापुड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 24 (पुराना) (हापुड शहरी भाग (पुराना दिल्ली-लखनऊ रोड (बांयी पटरी))) के कि०मी० 49.800 से कि०मी० 54.00 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 235 (मेरठ-हापुड रोड (बी०पी०सी०एल० पेट्रोल पम्प से गुरुद्वारा चौक (बांयी पटरी))) के कि०मी० 28.500 से कि०मी० 31.300 कुल लम्बाई 7.00 कि०मी० एवं 0.3500 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव में प्रयुक्त होने वाली संरक्षित वन भूमि 0.3500 हे० प्रयोग की जाने वाली वन भूमि की मांग अपरिहार्य है तथा संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं हैं। प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

02/3/22  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
हापुड वन प्रभाग,  
हापुड।